प्रतिवेदन

कार्य का नाम– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।(लम्बाई 8.00 किमी0)

जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0 3109/III(2)/06–68 (प्रा0अ0)/06 दिनांक 23.11.2006 द्वारा 8.00किमी0 लम्बाई हेतु 129.60 लाख की प्राप्त हुयी है।
प्रस्तावित मार्ग चम्बा–मसूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 46.00 स्थित मसराना नामक स्थान से प्रारम्भ होता है इस मार्ग का संमरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा स्वीकृत है मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण भूगर्भीयता द्वारा दिनांक 17.01.2008 को किया गया है, आख्या संलग्न है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में पडने वाले भूमि का सयुंक्त निरीक्षण सुभाषचन्द वन क्षेत्राधिकारी जौनपुर रेंज थत्यूड, सुरेश कुमार वन क्षेत्राधिकारी, वन्य जीव विहार, पटवारी तुणेटा क्षेत्र राजस्व उपनिरक्षक धनोल्टी, अखिलेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा दिनांक 31.05.2009 को किया गया ।

प्रस्ताव का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा–निर्देशों पर किया गया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल वनभूमि 1.1025 है0, आरक्षित वन भूमि 3.780 है0, वन्य जीव विहार 0.420 है0, कुल 5.3025 है0 वन भूमि की आवश्यकता होगी जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के व्यास के कुल 916 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिनके पातन की आवश्यकता होगी।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम किमोई सडक मार्ग से जुड जायेगा जिससे गांव में रोजगार के साधन बढेगें। गांव के नगदी फसलों की परिवहन व्यय में भी कमी होगी।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक 5.3025 है0 वन भूमि को अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में हस्तान्तरण की स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।